सं.:एसडब्ल्यू-57/5/2018-स्वाधार
भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

प्रथम तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली,
दिनांक 27-02-2018

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के महिला एवं बाल विकास विभागों के अध्यक्ष

महोदय/महोदया

विषय : स्वाधार गृह योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन के संबंध में।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ''स्वाधार'' और ''अल्पावास गृह'' नामक दो पूर्ववर्ती योजनाओं को सम्मिलित करके दिनांक 01.01.2016 से स्वाधार गृह योजना की शुरूआत की है। इस नई योजना का लक्ष्य संस्थागत सहायता की आवश्यकता वाली कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिला पीड़िताओं का पुर्नवास करना है ताकि वे अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सकें।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार, स्वाधार गृह योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा ड., ज.(iii) तथा ण.(ii) में कुछ संशोधन किए गए है । संशोधित दिशा-निर्देशों की एक प्रति इसके साथ संलग्न है ।

भवदीय

(एस.आर मीना)
उप-सचिव, भारत सरकार
दूरभाष संख्या : 011-23745787

प्रति : तकनीकी निदेशक, एनआईसी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर इसके साथ संलग्न संशोधित दिशानिर्देशों को अपलोड करने के लिए ।

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

स्वाधार गृह
एक योजना जो कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करती है ।
(2018)

स्वाधार गृह

(क) पृष्ठभूमि

महिलाओं को शोषण से बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए तथा उनके पुनरूद्धार और पुर्नवास में सहायता करने के लिए, समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् 1969 में समाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में महिलाओं और लडकियों के लिए अल्पावास गृह योजना की शुरूआत की गई थी । इस योजना का लक्ष्य पारिवारिक विवाद, अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव या सामाजिक उपेक्षा के कारण घर विहीन होने वाली या वेश्यावृति में धकेल दी जा रही या नैतिक खतरे का सामना करने वाली महिलाओं और लडकियों को अस्थायी आश्रय, अनुरक्षण और पुनर्वास सेवा प्रदान करना है। इसी प्रकार के उद्देश्यों वाली एक अन्य योजना अर्थात स्वाधार-कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए योजना की शुरूआत 2001-02 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी । इस योजना का लक्ष्य आश्रय, भोजन, कपडा, परामर्श, प्रशिक्षण, क्लीनिकल तथा कानूनी सहायता के प्रावधानों के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं का पुनर्वास करना है । बाजार अनुसंधान एवं समाज विकास केंद्र, नई दिल्ली ने इन दोनों योजनाओं के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए सन् 2007 में इनका मूल्यांकन किया था । मूल्यांकन रिपोर्ट में परामर्श और पुनर्वास की स्कीमों के अंतर्गत अपनाए गए उपायों की प्रभाविकता तथा सकारात्मक प्रभाव का हवाला देते हुए यह पाया गया था कि निवासियों का प्रोफाइल तथा श्रेणी, दाखिल प्रक्रिया, परामर्श, सेवा की गुणवत्ता, रोजगार प्रशिक्षण, पुर्नवास तथा अनुवर्तन प्रक्रिया दोनों स्कीमों में लगभग एक समान ही है । अत: कम प्रशासनिक भार और प्रक्रियाओं के साथ बेहतर कार्यप्रणाली तथा परिणाम प्राप्त करने के लिए इन दोनों योजनाओं को मिश्रित करने की सिफारिश की जाती है। इसके साथ ही यह भी सिफारिश की जाती है कि नई योजना में प्रत्येक जिले में इस प्रकार का एक गृह स्थापित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

मूल्यांकन अध्ययनों के सकारात्मक निष्कर्षों से मंत्रालय को इस नई योजना को प्रस्तावित करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। इस योजना का लक्ष्य संस्थागत सहायता की आवश्यकता वाली कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिला पीडिताओं का पुनर्वास करना है । ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सकें ।

(ख) दृष्टि

इस स्कीम के तहत कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिला पीडिताओं के लिए सहायक संस्थागत ढांचे की परिकल्पना की गई है ताकि वे अपना जीवन सम्मान पूर्वक और दृढ विश्वास के साथ जी सके । इसमें परिकल्पना की गई है कि इन महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, कपडा और स्वास्थ्य तथा आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी । इसमें यह भी परिकल्पना की गई है कि इन महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं का उचित रूप से ध्यान रखा जाए और किसी भी परिस्थिति में उनकी देखरेख में असावधानी न बरती जाए जिससे कि वे शोषण और अकेलेपन का शिकार हो जाएं।

(ग) उद्देश्य

इस स्कीम के अंतर्गत, प्रत्येक जिले में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 30 महिलाओं की क्षमता वाले स्वाधार गृह की स्थापना की जाएगी :-

(क) कठिन परिस्थितियों में रहने वाली तथा बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता वाली महिलाओं के आश्रय, भोजन, कपड़ा, चिकित्सा उपचार तथा देखभाल की प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करना ।
(ख) कठिन परिस्थितियों का सामना करने के कारण प्रभावित होने वाली उनकी भावनात्मक शक्ति को दोबारा प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना।
(ग) उन्हें कानूनी सहायता और दिशा-निर्देशन प्रदान करना ताकि वे परिवार / समाज में स्वयं को पुर्नस्थापित करने के लिए कदम उठाने में सक्षम हो सके ।
(घ) आर्थिक तथा भावानत्मक रूप से उनका पुनर्वास करना ।
(ड़) संकट में पडी महिलाओं की विभिन्न मांगों को समझने और पूरा करने वाली सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करना ।
(च) उन्हें अपना जीवन सम्मान पूर्वक तथा दृढ विश्वास के साथ दोबारा शुरू करने में सक्षम बनाना ।

बडे शहरों और 40 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले अन्य जिलों या उन जिलों जहां महिलाओं को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, के लिए एक से अधिक स्वाधार गृहों की स्थापना की जा सकती है । स्वाधार गृह की क्षमता को मांग के मूल्यांकन और अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटरो के आधार पर 50 या 100 तक बढाया जा सकता है ।

(घ) कार्यनीतियां

उपरोक्त बनाए गए उद्देश्यों का अनुसरण निम्नलिखित कार्यनीतियां अपनाते हुए किया जाएगा:-

(क) भोजन, कपडा, चिकित्सा सुविधाएं आदि के प्रावधान के साथ अस्थायी रिहायशी आवास।
(ख) इन महिलाओं के आर्थिक पुर्नवास के लिए रोजगार तथा दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना ।
(ग) परामर्श, जागरूकता सृजन तथा व्यवहार प्रशिक्षण प्रदान करना ।
(घ) कानूनी सहायता एवं दिशानिर्देशन
(ड) टेलीफोन के माध्यम से परामर्श देना

(ड) लाभार्थी

इस घटक का लाभ निम्नलिखित श्रेणियों वाली 18 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं द्वारा उठाया जा सकता है :-

(क) महिलाएं जिन्हें छोड दिया गया है या जिन्हें सामाजिक और आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है ।
(ख) प्राकृतिक आपदा की पीडित महिलाएं जो बेघर हो गई है और जिन्हें कोई सामाजिक तथा आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है ।
(ग) जेल से रिहा हो कर आने वाली और पारिवारिक, सामाजिक या आर्थिक सहायता विहीन महिला कैदी
(घ) घरेलू हिंसा, पारिवारिक तनाव या विवाद की पीडित महिलाएं जिन्हें बिना कोई निर्वाह भत्ता दिए घर छोडने पर मजबूर कर दिया गया है और जिन्हें शोषण से कोई विशेष सुरक्षा प्राप्त नहीं है और / या जो वैवाहिक विवाद के कारण मुकद्दमे का सामना कर रही है : और
(ड) अवैध-व्यापार की पीडित महिलाएं / वेश्यालयों से बचाई जाने वाली या भाग जाने वाली महिलाएं या शोषण के अन्य स्थानों से बचाई जाने वाली महिलाएं और एचआईवी/एडस पीडित महिलाएं जिन्हें कोई सामाजिक या आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है । हालांकि इन महिलाओं/लडकियों को सबसे पहले उज्ज्वला योजना, उन क्षेत्रों में जहां यह प्रचालन में है, के अंतर्गत सहायता की मांग करनी होगी।

सभी श्रेणी की महिलाएं अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक ही रह सकती हैं। 55 वर्ष से अधिक की आयु वाली वृद्ध महिला को 60 वर्ष की आयु तक ही आवास प्रदान किया जा सकता है इसके बाद इन्हे वृद्ध आश्रमों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा ।

स्वाधार गृह सुविधाओं का लाभ उपरोक्त श्रेणियों की महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों द्वारा भी उठाया जा सकता है । स्वाधार गृह में 18 वर्ष तक की आयु की लडकियों तथा 12 वर्ष तक की आयु के लडकों को ही अपनी माताओं के साथ रहने की अनुमति प्रदान की जाएगी । (12 वर्ष से अधिक की आयु वाले लडकों को किशोर न्याय अधिनियम) समेकित बाल संरक्षण सेवा (आईसीडीएस) के अंतर्गत संचालित बाल गृहों में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता होगी ।

(ड.) कार्यान्वयन एजेन्सियां तथा पात्रता मानदंड

(i) निम्नलिखित एजेन्सियो/संगठनों में से कोई भी संगठन इस योजना के अंतर्गत सहायता की मांग कर सकता है:-

(क) राज्य सरकारों द्वारा स्थापित महिला विकास निगमों सिहत राज्य सरकार की एजेन्सियां ।
(ख) केंद्र और राज्य के स्वायत्त निकाय
(ग) निगम निकाय
(घ) छावनी बोर्ड
(ड.) पंचायती राज संस्थाएं और सहकारी संस्थाएं
(च) राज्य सरकारों के महिला एवं बाल विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग जो स्वाधार गृह का निर्माण कर सकते हैं और उन्हें स्वयं चला सकते हैं या इस योजना के अंतर्गत प्रचालन का प्रबंधन करने के लिए उतनी अवधि जितनी वह ठीक समझे के लिए अपेक्षित अनुभव वाले संगठनों को लीज (पट्टे) पर दे सकते हैं ।
(छ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट ।
(ज) महिला कल्याण/समाज कल्याण/महिला शिक्षा के क्षेत्रों में कार्य करने के ट्रैक रिकॉर्ड वाले सिविल सोसायटी संगठन जैसे कि गैर सरकारी संगठन आदि किंतु इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ये संगठन भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या किसी संबंधित राज्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो ।

(ii) पैरा (छ) और (ज) के अंतर्गत शामिल संगठन के लिए निम्नलिखित मानदंड पूरा करना अनिवार्य है :-

(क) यह संगठन या तो वर्तमान योजना/कानून के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए या कम से कम 3 वर्षों के लिए क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए ओर इसके कार्य को संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा संतोषजनक पाया गया हो ।
(ख) यह सामान्य रूप से योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए अनुरोध करने से पूर्व दो वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए महिला कल्याण/समाज कल्याण/महिला शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न होना चाहिए ।

(ग) इसमें इस परियोजना का प्रबंधन करने के लिए सुविधाएं, संसाधन, कार्मिक तथा अनुभव होना चाहिए ।
(घ) इसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होनी चाहिए ताकि यह अनुदान प्राप्त होने में विलंब होने की स्थिति में कुछ माह के लिए खर्च वहन कर सके ।
(ड.) यह स्वाधार गृह को गैर लाभ आधार पर चला रहा हो ।
(छ) संगठन के पास स्वाधार गृह में कम्पयूटर, इंटरनेट कनैक्शन आदि जैसी सुविधाएं होनी चाहिए ।

(iii) योजना के घटक

(क) भवन के निर्माण के लिए निर्माण अनुदान केवल राज्य सरकारों, नगर निगमों, छावनी बोर्डों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए ही स्वीकार्य होगा । कार्यान्वयन ऐजेन्सी द्वारा इस उद्देश्य के लिए भूमि मुफ्त दी जाएगी ।
(ख) यदि स्वाधार गृह किराए के भवन में चलाया जा रहा है तो इसका किराया कितना होगा।
(ग) स्वाधार गृह के प्रबंधन के लिए आवर्ती और गैर आवर्ती व्यय के लिए सहायता ।
(घ) निवासियों और बच्चों के लिए भोजन, आश्रय, कपडा, चिकित्सा देखभाल, जेब खर्च का प्रावधान ।
(ड.) परामर्श, कानूनी सहायता, रोजगार प्रशिक्षण तथा दिशा-निर्देशन का प्रावधान

ज.) सहायता का स्वरूप

इस योजना का कार्यान्वयन पूर्वोत्तर राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जहां केंद्र और राज्य का हिस्सा 90:10 के अनुपात में होगा के सिवाय अन्य राज्यों में 60:40 के लागत हिस्सेदारी अनुपात पर केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, सरकार 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करेगी। केंद्र का हिस्सा वर्ष 2017-18 के लिए लगभग 100 करोड रूपये होगा ।

कार्यान्वयन एजेन्सियां उपरोक्त वर्णित सभी घटकों के लिए सहायता मांग सकती है किंतु कठिन परिस्थितियां वाली महिलाओं की सहायता करने के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध होने पर सहायता केवल कुछ ही घटकों के लिए भी मांगी जा सकती है । सरकार स्वाधार गृह की स्थापना/संचालन करने के लिए कार्यान्वयन संगठनों को निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय सहायात प्रदान करेगी :-

(i) निर्माण के लिए सहायता : सरकार निवासियों के आश्रय के लिए कमरों/काटेज/झोपडियों के निर्माण तथा रसोई, स्नान घर प्रशिक्षण हाल, मनोरंजन कक्ष, भोजन कक्ष, कार्यालय कक्ष आदि जैसी सामान्य सुविधाएं तथा जल, बिजली, संपर्क सडक, सीमा की दीवार आदि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करेगी। यह अनुदान 1,33000/- रूपये प्रति निवासी की उच्चतम सीमा के अधीन होगा । निर्माण अनुदान महिला विकास निगम, केंद्र या राज्य स्वायत्त निकायों, नगर निगमों तथा पंचायती राज संस्थाओं सहित राज्य सरकार की एजेन्सियों को दिया जाएगा। अनुमानित आधार पर अपनाई जाने वाली निर्माण की सामाग्रियों/सेवाओं की दरें संबंधित राज्य के जन कल्याण विभाग की दरों की सूची (एसओआर) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) किराए के लिए सहायता : 30 निवासियों के लिए आशयित स्वाधार गृह के लिए स्वीकार्य अधिकतम किराया 'ए' ग्रेड के शहरों में 50,000/- रूपये प्रति माह है, 'बी' ग्रेड के शहरों में 30,000/- रूपये प्रतिमाह है और अन्य स्थानों पर 18,000/- रूपये प्रति माह है। ग्रेड 'ए' और 'बी' के शहरों की सूची अनुलग्नक में है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भवन को अधिक किराए वाले क्षेत्रों में स्थापित न किया जाए। किराए की उचितता को जिला कलेक्टर/राज्य जन कल्याण विभाग या इस उद्देश्य के लिए संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासितप्रदेश प्रशासन द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य ऐजेंसी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

रिहायशी स्थान के लिए मानदंड :

स्वाधार गृह को ऐसी रिहायशी सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे कि निवासियों के लिए एक सम्मानजनक और प्रतिष्ठित जीवन स्तर सुनिश्चित हो सके। तदनसार प्रत्येक स्वाधार गृह को सामान्य स्थान और युटिलिटियों को छोड़कर प्रति निवासी लगभग 80 स्क्वेयर फीट का रिहायशी स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक स्वाधार गृह में स्नानघर, शौचालय, भोजन कक्ष तथा एक बहु उद्देशीय कक्ष, जिसे सामान्य कक्ष/मनोरंजन कक्ष/प्रशिक्षण कक्ष के रूप में प्रयोग किया जाएगा, की पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। स्वाधार गृह के परिसर को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और स्वाधार गृह के लिए चिन्हित किए गए परिसर में किसी अन्य रिहायशी कार्यक्रम का संचालन नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) **<u>प्रशासन एवं प्रबंधन</u>** 30 निवासियों वाले स्वाधार गृह के लिए स्टाफ का सूचित प्रावधान निम्नलिखित होगा :-

क्र.सं.	**पद का नाम**	**पदों की सं.**	**मुआवजा (मासिक)**	**मुआवजा (वार्षिक)**
1.	निवासी अधीक्षक	1	12,000	1,44,000
2.	परामर्शक	1	10,000	1,20,000
3.	कार्यालय सहायक गृह	1	8000	96,000
4.	चिकित्सक	1	6000	72,000

	(अधिकक्ष)			
5.	गार्ड/चौकीदार	2	10,000	1,20,000
कुल		**6**	**46,000**	**5,52,000**

स्वाधार गृह के निवासियों को खाना पकाने, शौचालय साफ करने तथा साफ सफाई के कार्यों का स्वयं प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों को संविदा आधार पर नियुक्त किया जाए।

संगठन यह भी सुनिश्चित करेगा कि तैनात किए गए कर्मचारी स्वच्छ, साफ सुथरे और उचित यूनिफॉर्म पहने।

संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि स्वाधार गृह में तैनात सभी कर्मचारियों का नैतिक चरित्र अच्छा हो और उनका कोई पिछला अपराधिक इतिहास न हो तथा इस बात की जांच स्वाधार गृह में उनकी तैनाती से पूर्व पुलिस प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई जाएगी।

सरकारी अस्पतालों/प्राधिकरण द्वारा कर्मचारियों की उचित चिकित्सकीय जांच की जाएगी और कर्मचारियों को गृह में तैनाती के समय किसी भी प्रकार की छूत की बीमारी नहीं होनी चाहिए। कर्मचारियों की आवधिक स्वास्थ्य जांच भी सुनिश्चित की जाएगी।

कर्मचारियों की सेवाएं उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर एक माह पहले नोटिस देकर समाप्त कर दी जाएगी।

iv. अन्य आवर्ती व्यय : 30 निवासियों के स्वाधार गृह के लिए निम्नलिखित आवर्ती व्यय की मंजूरी दी जाएगी :-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	**विवरण**	**यूनिट**	**व्यय (मासिक)**	**व्यय (वार्षिक)**
1.	भोजन का खर्च	प्रति निवासी	1300	468000#
2.	कपड़े का खर्च	प्रति निवासी	--------	30000#
3.	दवाइयों, व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों आदि का खर्च	प्रति निवासी	175	63000#
4.	जेब खर्च	प्रति निवासी	100	36000#
5.	मनोरंजन गतिविधियों के लिए खर्च	संचित		12000#
6.	एनसीवीटी की अनुमोदित योजना के अंतर्गत रोजगार प्रशिक्षण के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति	श्रम विभागों/एनसीवीटी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण और जांच	प्रति वर्ष प्रति निवासी *1800/-	27000** (वास्तविक के अधीन)

	और जारी किया जानेवाला प्रमाणपत्र	शुल्क का प्रति महिला भुगतान		
7.	टेलिफोन शुल्क सहित आकस्मिकता	प्रति गृह		50,000
8.	किराया***	प्रति गृह	50,000/ 30,000/ 18,000/	6,00,000/ 3,60,000/ 2,16,000/
कुल				12,86,000/ 10,46,000/ 9,02,000.

25 से 35 वर्ष तक की आयु की महिलाओं और उनके बच्चों को सभी लाभ केवल 12 माह की अवधि के लिए प्राप्त होंगे और इसके बाद इन्हें केवल आवास की सुविधा ही मिलेगी तथा अन्य सभी खर्च की व्यवस्था उन्हें अपने स्वयं के संसाधनों से करनी होगी।

* रोजगार प्रशिक्षण की गणना एनसीवीटी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए प्रति निवासी 1500/- रुपये की दर पर की गई है। जिसका प्रशिक्षण शुल्क प्रशिक्षण की अवधि पर निर्भर करते हुए 500/- रुपये से लेकर 3000/- रुपये तक है। अनुमान है कि औसत प्रशिक्षण शुल्क प्रति निवासी 1000/- रुपये (महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शुल्क में उपलब्ध 25 प्रतिशत की छूट के समायोजन के पश्चात) होगा। प्रति महिला 800/- रुपये के जांच शुल्क को शामिल करने के पश्चात अस्थायी प्रशिक्षण लागत प्रति निवासी 1800/- रुपये तक आ गई है।

** अनुमान है कि 50 प्रतिशत निवासी अपने पुनर्वास को सुगम बनाते हुए प्रशिक्षण का लाभ उठाएगें। अत: 30 महिलाओं की क्षमता वाले स्वाधार गृह के लिए रोजगार प्रशिक्षण शीर्ष पर अनुमानित वार्षिक व्यय 27000/- रुपये होगा किंतु स्वाधार गृह को बिना किसी उच्चतम सीमा के वास्तविक आधार पर प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

*** वर्गीकरण के अनुसार

+ तैनात किए गए कर्मचारियों के किराए और वेतन का भुगतान चैकों/इलेक्ट्रॉनिक तरीके के माध्यम से किया जाएगा।

(v) **बच्चों के लिए प्रावधान :** स्वाधार गृह के बच्चों के लिए, खर्च प्रत्येक शीर्ष पर महिलाओं को लागू होने वाले आवर्ती व्यय के दो तिहाई (2/3) भाग की दर पर दिया जाएगा।

(vi) **गैर-आवर्ती व्यय :** फर्नीचर, पलंग, बेडिंग, बर्तन, टेलीविजन आदि सहित अन्य आवश्यक सामग्री के क्रय हेतु प्रति महिला 5000/- रुपये का एक मुश्त गैर आवर्ती अनुदान का प्रावधान होगा। किंतु पांच वर्षों तक परियोजना के सफलतापूर्ण कार्यान्वयन के पश्चात, परियोजना मंजूरी समिति इसे और आगे जारी रखने का निर्णय लेते समय सेवा प्रदायगी न की जा सकने वाली सामग्री को बदलने के लिए उपर्युक्त राशि की अनुमति दे सकेगी जो कि वास्तविक अनुदान से अधिक नहीं होगी।

झ स्वाधार गृह के कर्मचारियों के दायित्व

(क) **निवासी अधीक्षक :** वह स्वाधार गृह की पूर्ण इंचार्ज/प्रशासनिक अध्यक्ष होगी और स्वाधार गृह की प्रवाहपूर्ण कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करेगी ताकि स्वाधारगृह के निवासियों की समस्याएं उनके द्वारा सुलझाई जा सकें।

(ख) **परामर्शक :** वह स्वाधार गृह के निवासियों तथा जरूरतमंद महिलाओं को टेलिफोन के माध्यम से परामर्श देगी। इसके साथ ही वह स्वाधार गृह के प्रबंधन में निवासी अधीक्षक की सहायता भी करेंगी।

योग्यता

अधीक्षक	–	प्राथामिक रूप से स्नातकोत्तर डिग्रीधारी हो और इनके पास इस प्रकार के गृहों के संचालन में 2-3 वर्ष का पर्यवेक्षण अनुभव हो।
परामर्शक	–	सामाजिक कार्य/मनोविज्ञान/समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्रीधारी होना चाहिए। पिछला कार्य अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
कार्यालयी सहायक	–	स्नातक (कम्प्यूटर प्रचालन में दक्षता सहित)
गार्ड/वॉचमैन/चपरासी	–	मध्यस्तर

उपरोक्त शैक्षिक योग्यताओं की मांग वर्तमान गृहों के उन कर्मचारियों के संबंध में नहीं की जाएगी जो कि पांच वर्ष से अधिक समय से इन गृहों में कार्य कर रहे हैं।

ञ. सहायता सेवाएं

(क) **विधिक सेवा :** लाभार्थियों को कानूनी सहायता की आवश्यकताओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पूरा किया जाएगा। यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से इस प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती है तो कार्यान्वयन संगठन वैकल्पिक उपर्युक्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करेंगे।

(ख) **रोजगार प्रशिक्षण :** कार्यान्वयन ऐजेंसी द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षण और परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर किया जाएगा। रोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। रोजगार प्रशिक्षण आदि के क्रम में निवासियों के परिवहन पर संगठन द्वारा वहन किया गया खर्च आकस्मिक शीर्ष से पूरा किया जा सकता है।

(ग) **चिकित्सा सुविधाएं :** स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था स्थानीय सिविल अस्पताल/सीएचसी/पीएचसी से करवाई जाएगी। हालांकि, कार्यान्वयन संगठन को स्वाधार गृह के लिए एक अंशकालिक डॉक्टर की व्यवस्था करनी चाहिए और इस डॉक्टर को निवासियों के सामान्य स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार आश्रय गृह का दौरा करना चाहिए। डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं की खरीद का खर्च ''चिकित्सकीय देखभाल तथा व्यक्तिगत स्वच्छता शीर्ष'' से किया जाना चाहिए।

(घ) **परामर्श :** स्वाधार गृह योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया स्टाफ जरूरतमंद महिलाओं को टेलिफोन से परामर्श देगा और टेलिफोन कॉलों पर होने वाले खर्च का भुगतान ''आकस्मिक शीर्ष'' से किया जाएगा।

योजना के कार्यान्वयन के क्रम के दौरान, राज्य सरकारें और कार्यान्वित संगठन अन्य कार्यक्रमों जैसे कि गैर औपचारिक शिक्षा, राज्यों तथा भारत सरकार के दक्षता विकास और अन्य कार्यक्रमों के साथ अनिवार्य रूप से संबंध स्थापित करेंगे।

सभी कार्यान्वयन संगठन एचआईवी/एड्स द्वारा दूषित/प्रभावित होने वाले निवासियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए एनएसीओ, राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों तथा जिला अस्पतालों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

राज्य सरकारें स्वाधार गृह में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए स्वाधार गृह के कर्मचारियों के लिए अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उपर्युक्त एजेंसियों को नामित करेगी।

कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्वाधार गृह में किसी प्रमुख स्थान पर स्थानीय भाषा में संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के नाम और टेलीफोन नम्बरों के अतिरिक्त उपलब्ध सुविधाओं तथा प्रत्येक सामग्री/घटक/सेवा के लिए अलग से रखी गई राशि को प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

ट. नई परियोजनाओं (स्वाधार गृह) को मंजूरी

(क) राज्य सरकारें अपने राज्य में अपेक्षित नई परियोजनाओं की संख्या का मूल्यांकन करेगी और प्रत्येक वर्ष के दिनांक 30 सितम्बर तक औचित्य सहित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में योजना के इंचार्ज संयुक्त सचिव को इसकी सूचना देगी। संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार अनुमोदित की जा सकने वाली परियोजनाओं के बारे में सूचित करेगी और आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में अनिवार्य प्रावधान करेगी ।

(ख) राज्य सरकारें पात्र संगठनों के आवेदन आमंत्रित कर सकती हैं और मानदंडों को पूरा करने वाले प्रस्तावों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सचिव (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) की अध्यक्षता वाली परियोजना मंजूरी समिति के समक्ष रखा जा सकता है और इस समिति में जिसका राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्णीति किसी अन्य प्रतिनिधि अतिरिक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वित्त और श्रम विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

स्वाधार गृह की मंजूरी आरंभ में पांच वर्षों के लिए दी जाएगी। पांच वर्ष की अवधि के कार्यान्वयन के पश्चात परियोजना मंजूरी समिति कार्य-निष्पादन और आवश्यकता पर निर्भर करते हुए इसे आगे जारी रखने या न रखने का निर्णय ले सकती है।

ठ. अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

राज्य सरकारें/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन निम्नलिखित कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान जारी करेंगे :-

(क) स्वाधार गृहों के निर्माण के लिए

(i) नए स्वाधार गृह की निर्माण लागत के लिए अनुदान 50:40:10 के अनुपात में तीन किश्तों में संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी किया जाएगा। फर्नीचर और सामान्य क्षेत्र सुविधाओं के क्रय के लिए एक मुश्त अनुदान निर्माण लागत के 10 प्रतिशत की अंतिम किश्त के साथ जारी किया जाएगा।

(ii) भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने सहित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भवन योजना पीएससी को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव का भाग होनी चाहिए। पीएससी द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिए जाने के पश्चात अनुदान की प्रथम किश्त कार्यान्वयन एजेंसी को जारी कर दी जाएगी।

(iii) कार्यान्वयन एजेंसी को दूसरी किशत पिछली किश्त के खर्च होने के बाद जारी की जाएगी। अगली किश्त जारी करने के अनुरोध के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

(क) पिछली किश्त का उपयोगिता प्रमाणपत्र और चार्टर्ड एकाउन्टेंट/ सरकारी लेखा परीक्षक, द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित अनुमोदित योजना के निष्पादन पर वहन किए गए वास्तविक व्यय का अद्यतित संक्षिप्त विवरण ।

(ख) कार्यान्वयन एजेंसी को संबंधित राज्य सरकार को निर्माण कार्य की अद्यतित वास्तविक प्रगति दर्शाने वाला विवरण ।

(iv) उपरोक्त वर्णित एक मुश्त अनुदान के साथ तीसरी और अंतिम किश्त निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के बाद भवन का निर्माण पूरा होने पर जारी की जाएगी :-

(क) पीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी/हाऊसिंग बोर्ड से इस बारे में पूर्णता प्रमाणपत्र कि भवन का निर्माण अनुमोदित योजनाओं और अनुमानों के अनुसार पूरा किया जा चुका है; और

(ख) संचित उपयोगिता प्रमाणपत्र (जिसमें स्पष्ट और पृथक रूप से दर्शायी गई पहली और दूसरी किश्तों के उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शामिल होंगे) और भवन के निर्माण पर वहन किया गया व्यय विवरण जिसे प्राधिकृत लेखा परीक्षकों/सरकारी लेखा परीक्षकों/चार्टड एकाउण्टेड द्वारा सम्यक रूप से लेखा परीक्षित किया गया हो।

(ग) भवन के कम से कम चार कोनों सामने वाली ऊँचाई, आस-पास वाली ऊँचाई और नाम पट्टिका जिस पर यह लिखा हो कि इस स्वाधार गृह का निर्माण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता द्वारा किया गया है को निकट से दर्शाने वाली तस्वीर के तारीख वाले फोटोग्राफ।

ड. <u>किराए के परिसर में स्वाधार गृह</u>

यदि किराए के स्वाधार गृह के लिए सहायता मांगी जाती है तो सहायता राशि प्रत्येक वर्ष दो बराबर की किश्तों में जारी की जाएगी। गैर आवर्ती सामग्री के लिए एक मुश्त अनुदान प्रथम किश्त के साथ जारी किया जाएगा।

(i) प्रथम किश्त सामान्यतया परियोजना की मंजूरी के साथ ही जारी की जाएगी। कार्यान्वयन एजेंसी एक नाम पट्टिका जिसमें यह उल्लिखित हो कि इस स्वाधार गृह का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है, के साथ स्वाधार गृह के दो रंगीन फोटो भी प्रस्तुत करेगी।

(ii) दूसरी ओर पश्चातवर्ती किश्त तभी जारी की जाएगी जब कार्यान्वयन एजेंसी यह प्रमाण प्रस्तुत करे कि उसने पिछली किश्त उसी उद्देश्य के लिए व्यय की है जिसके लिए वह जारी की गई थी। दूसरी और पश्चातवर्ती किश्त जारी करने के अनुरोध के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होगें :-

(क) पिछली किश्त का उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा वहन किए गए वास्तविक व्यय का अद्यतन संचित विवरण।

(ख) जिला प्रशासन द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट जिसमें निवासियों की अनुमोदित संख्या की तुलना में निरीक्षण के समय संबंधित पाए जाने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या के ब्यौरे सहित स्वाधार गृह की सामान्य स्थिति और स्वाधार गृह में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा होगा।

ढ. <u>केंद्र सरकार द्वारा अनुदान जारी करना</u>

निधियां जारी करने के लिए वित्तीय स्वरूप पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, जहां केंद्र सरकार और राज्य के बीच का अनुपात 90:10 होगा, को छोड़कर केंद्र सरकार और राज्यों के बीच 60:40 होगा। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, समग्र लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रत्येक वर्ष दो किश्तों में जारी की जाएगी। किसी वर्ष के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को किए गए आबंटन का निर्धारण प्रचालन परियोजनाओं की संख्या, वर्ष में मंजूर किए जाने की संभावना वाली नई परियोजनाओं की संख्या और संसाधनों की उपलब्धता पर विचार करते हुए किया जाएगा। आबंटित अनुदान के 50 प्रतिशत की राशि की प्रथम किश्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास उपलब्ध व्यय न की गई किसी शेष राशि की कटौती के पश्चात वित्तीय वर्ष के आरंभ में जारी की जाएगी।

दूसरी किश्त पहली किश्त के 60 प्रतिशत भाग का उपयोग कर लिए जाने के बाद जारी की जाएगी।

राज्य सरकारों से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अर्धवर्षीय व्यय विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है।

ण. <u>योजना की निगरानी</u>

(i) जिला स्तर पर निगरानी

इस योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले सभी स्वाधार गृहों, चाहे वे नवनिर्मित हों या वे किराए के परिसर में चल रहे हों या अन्यथा हो, की निगरानी निम्नलिखित प्रकार से गठित निगरानी समिति द्वारा नियमित रूप से की जाएगी ताकि उनका प्रवाहपूर्ण कार्यान्वयन अंतरालों का चिन्हीकरण सुनिश्चित किया जा सके और ऐसे कदम सुझाए जा सके जिनसे उनका संचालन बेहतर तरीके से हो सके।

(क)	जिला कलैक्टर	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
(ग)	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(घ)	जिला समाज कल्याण अधिकारी/महिला एवं बाल विकास अधिकारी सचिव	सदस्य
(ड)	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि	सदस्य
(च)	म्युनिसिपल कारपोरेशन/पंचायती राज संस्थाओ के प्रतिधिनिधि	सदस्य
(छ)	जिला कलैक्टर के विवेकाधिकार पर नियुक्त अन्य प्रमुख व्यक्ति	सदस्य

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिला समिति के कम से कम दो सदस्य महिलाएं होंगी। इस समिति की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार होगी।

प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी जिला समिति को निर्धारित फार्मेट में स्वाधार गृह की मासिक प्रगति रिपोर्ट (ओपीआर), पुनर्वासित महिलाओं की सूची तथा निवासियों की सूची आदि प्रस्तुत करेगी।

(ii) राज्य स्तर पर निगरानी

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में समाज कल्याण विभाग/महला एवं बाल विकास विभाग का सचिव इंचार्ज योजना के लिए राज्य स्कीम/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन स्तरीय निगरानी समिति का अध्यक्ष होगा । समिति के अन्य सदस्य सचिव द्वारा नामित किए जाएंगे । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि (संबंधित ब्यूरो का संयुक्त सचिव या उनका नोमिनी) समिति का सदस्य भी होना चाहिए । इस समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी और यह परियोजनाओं की निगरानी करेगी । किसी एजेन्सी को अनुदान जारी किया जाना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार संतोषजनक निष्पादन पर निर्भर करेगा । **राज्य सरकार को स्वाधार गृह योजना के कार्यान्वयन के संबंध में सामाजिक लेखा परीक्षा करवाना सुनिश्चित करना चाहिए ।**

(iii) केंद्रीय स्तर पर निगरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ नियमित अंतरालों पर स्वाधार गृह की कार्य प्रणाली की समीक्षा भी करेगा । यदि आवश्यक हुआ, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, मंत्रालय (वेब आधारित/ आईटी सक्षम निगरानी प्रणाली स्थापित करने की संभावना की खोज करेगा ।

(त.) <u>योजना संबंधी मानदंडों का पालन न किया जाना तथा अन्य उल्लंघन</u>

(i) घटक के किसी प्रावधान के उल्लंघन या भ्रम की स्थिति में या कार्यान्वयन एजेंसी/स्वाधार गृह के किसी भी समय बंद हो जाने की स्थिति में, सरकारी अनुदान से सृजित होने वाली सभी परिसंपत्तियां भारत सरकार के

पास वापस चली जाएंगी या इसमें शामिल राशि को कार्यान्वयन एजेंसी से भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हुआ तो दण्डात्मक कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित कानूनों के अंतर्गत भी कार्यवाही की जाएगी ।

(ii) इसके अतिरिक्त, सिविल सोसायटी मामलों/सार्वजनिक ट्रस्टों/सहकारी समितियों/कारपोरेट निकायों द्वारा निधियों के किसी भी दुर्विनियोजन के मामले में, राज्य सरकार व्यतिक्रम करने वाली कार्यान्वयन एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर कानूनी कार्यवाही शुरू करेगी और अनुदान जारी किए जाने से पूर्व प्रस्तुत किए जाने वाले ऋण पत्र में की गई सहमति के अनुसार ब्याज की दण्डात्मक दर के साथ अनुदान वसूल करने के लिए सख्त कानूनी कार्यवाही करेगी ।

(iii) भारत सरकार के पास मंत्रालय या राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वयन ऐजेंसी द्वारा वित्तीय सहायता का दुरुपयोग करने पर किसी अन्य उद्देश्य के लिए स्वाधार गृह का गलत तरीके से उपयोग करने की स्थिति में स्वाधार गृह के भवन या स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुदान के द्वारा सृजित परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने का अधिकार होगा ।

(iv) योजना के प्रावधानों जैसे कि गलत रिकार्ड बनाना, प्रबंधन और स्टॉक के सदस्यों द्वारा निवासियों के यौन, मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न सहित अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के उल्लंघन से अनुदान को रोक दिया जाएगा और अपराधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्यान्वयन एजेंसी को काली सूची में डाल दिया जाएगा ।

(थ.) <u>अस्थायी प्रावधान</u> :

i. नए दिशानिर्देशों के प्रभाव में आने की तारीख को कार्यरत सभी वर्तमान स्वाधार गृहों और लघु आवास गृहों का नाम स्वाधार गृह माना जाएगा और ये स्वाधार गृह नए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रचालनरत होंगे । राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन गृहों की आवश्यकता और कार्यप्रणाली का मूल्यांकन कर सकते हैं और इसे आगे जारी रखने या अन्यथा कार्यवाही कर सकते हैं ।
ii. नए दिशानिर्देशों के शुरू होने से पूर्व प्रतिमाह देयताओं की गणना संशोधित मानदंडों के अनुसार की जाएगी और इनकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सिफारिश तथा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को की जाएगी ।

(द.) <u>जनता में जागरुकता लाना</u> :

राज्य सरकारों से स्वाधार गृह की उपलब्धता, लाभार्थियों के लक्षित समूह तथा इसके अंतर्गत प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरुकता लाने की अपेक्षा की जाती है । प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी विभिन्न उपलब्ध तरीकों के माध्यम से लोगों को स्वाधार गृह के बारे में सूचना भी प्रदान करेगी ।

<u>स्वाधार गृह योजना की संशोधित लागत का वर्ष 2016-17 के बाद का ब्यौरा</u>

<u>(राशि रुपये में)</u>

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	मुआवज़ा (मासिक)	मुआवज़ा (वार्षिक)
1.	निवासी अधीक्षक	1	12,000	1,44,000
2.	परामर्शक	1	10,000	1,20,000

3.	कार्यालय सहायक	1	8,000	96,000
4.	चिकित्सक	1	6,000	72,000
5.	गार्ड/चौकीदार	2	10,000	1,20,000
	कुल	**6**	**46,000**	**5,52,000**

अन्य 30 निवासियों वाले स्वाधार गृह का आवर्ती व्यय

क्र.सं.	**घटकों का नाम**	**यूनिट**	**व्यय (मासिक)**	**व्यय (वार्षिक)**
1.	प्रतिमाह प्रति निवासी 1300/- रुपये की दर पर भोजन के लिए व्यय	प्रति निवासी	1300	4,68,000/-
2.	कपड़े पर होने वाला खर्च	प्रति निवासी		30,000/-
3.	दवाइयों, व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों आदि पर होने वाला खर्च : प्रति माह प्रति निवासी 175/- रुपये की दर पर	प्रति निवासी	175	63,000/-
4.	प्रति माह प्रति निवासी 100/- रुपये की दर पर जेब खर्च	प्रति निवासी	100	36,000/-
5.	मनोरंजन गतिविधियों पर होने वाला खर्च	संचित	प्रति महिला	12,000/-
6.	एनसीवीटी अनुमोदित योजना के अंतर्गत रोजगार प्रशिक्षण के लिए शुल्क का भुगतान और प्रति वर्ष प्रति निवासी 1800/-रुपये की दर पर प्रमाण पत्र जारी किया जाना ।	श्रम विभाग/एनसीवीटी द्वारा	1800/-रुपये प्रति निवासी प्रति वर्ष	27,000/-
7.	टेलीफोन शुल्क सहित आकस्मिकता	प्रति गृह		50,000/-
8.	स्वाधार गृह का किराया	प्रति गृह	50,000 (श्रेणी क) 30,000 (श्रेणी ख) 18,000 (श्रेणी ग)	6,00,000/- 3,60,000/- 2,16,000/-
	कुल			**12,86,000/-** **10,46,000/-** **9,02,000/-**

1. अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए बजट आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं :

स्वाधार	यूनिट	2017-	केंद्रीय	यूनिट	2018-	केंद्रीय	यूनिट	2018-	केंद्रीय	कुल

योजना का नाम		18	शेयर		19	शेयर		20	शेयर	केंद्रीय शेयर
प्रति स्वाधार गृह 1598000/- रुपये की दर पर वर्तमान स्वाधार गृह को आवर्ती अनुदान	592	94.60	61.50	650	104.00*	67.50	650	104.00*	67.50	195.50
दिनांक 31.03.2016 तक लंबित देयताएं		52.90	52.90 100%		-			-		52.90
वृंदावन गृह का निर्माण (पूंजी परिसंपत्ति)		4.39 100%	4.39 100%		-			-		4.39
निगरानी यूनिट (एमयू)	1	0.084 100%	0.084 100%	1	0.084	0.084 100%	1	0.084	0.084 100%	0.25
कुल		151.97	118.87		104.08	67.58		104.08	67.58	254.03

***गणनाओं के आधार पर कि प्रत्येक जिले में एक स्वाधार गृह अपितु पूरे भारत में 650 स्वाधार गृहों के लिए = एक स्वाधार गृह की लागत 15,98,000X650 = 103,87,00,000/-रुपये है । सभी राज्यों के लिए वित्त पोषण अनुपात 60:40 है, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह अनुपात 100 प्रतिशत है ।**

अगले तीन वर्षों के लिए केंद्र का हिस्सा लगभग 254.03 करोड़ रुपये होगा ।

1. स्वाधार स्कीम के अंतर्गत, एक निगरानी यूनिट, जिसमें परामर्शक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर शामिल हों, की स्थापना अनुभाग के दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए की जा सकती है ।
2. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में एक निगरानी यूनिट (एमयू) की स्थापना की जाएगी । यह निगरानी यूनिट एक निदेशक के साथ अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत प्रचालनरत होगा । इस निगरानी यूनिट की सहायता योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डाटा एन्ट्री, निगरानी तथा अन्य सरकार के साथ संपर्क के लिए दिन प्रतिदिन की सहायता के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए एक पूर्णकालिक समन्वयक और दो डाटा एन्ट्री ऑपरेटर द्वारा भी की जाएगी । निगरानी यूनिट (एमयू) में नियुक्त मानव संसाधन का ब्यौरा **अनुलग्नक** में है ।

अनुलग्नक

निगरानी यूनिट (एमयू) पर मानव संसाधन का ब्यौरा

कुल मानव संसाधन - निगरानी यूनिट				
क्र.सं.	**स्टॉक का ब्यौरा**	**प्रति यूनिट** **संख्या**	**प्रति माह** **प्रति व्यक्ति मुआवजा** **रुपयों में)**	**संचित वार्षिक व्यय (रुपयों में)**
1.	समन्वयक	1	40,000	480,000
2.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	15,000	360,000
	उप जोड़ ग	**3**		**840,000**

<u>परिशिष्ट - I</u>

स्वाधार गृह योजना

आवेदन फार्म

भाग (क) - संगठन

1.) संगठन के मुख्यालय का नाम और पूरा डाक पता
जिला :
राज्य :
पिन कोड :

2.) एस.टी.डी कोड सहित दूरभाष संख्या :

3.) फैक्स संख्या :

4.) क्या गैर सरकारी संगठन के उप-नियम इसकी अनुमति देते हैं, सरकारी अनुदान प्राप्त करते हैं और प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में महिलाओं के कार्यक्रम का कार्यान्वयन करते हैं ?

5.) संगठन के उद्देश्य **:**

6.) संगठन का संक्षिप्त इतिहास : (एक पैराग्राफ में)

7.) क्या यह भारतीय सोसायटी पंजीकरण **:** अधिनियम (1860 का अधिनियम XXI) ट्रस्ट अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है ? यदि हां, तो पंजीकरण की संख्या एवं तारीख दें ।

8.) क्या यह संगठन अखिल भारतीय संगठन है ? : यदि हां, तो दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या आदि के साथ राज्य शाखा, जिसका संचालन आश्रय गृह द्वारा किया जाएगा, सहित विभिन्न राज्यों में इसकी शाखाओं का पता दें ।

9.) क्या यह संगठन अपने स्वयं के भवन में **:** स्थित है या किराए के भवन में स्थित हैं ?

10.) गत 3 वर्षों में संगठन की प्रमुख गतिविधियां **:** क्या रही हैं ?

गतिविधि का नाम	कवरेज			व्यय
	पुरुष	महिलाएं	बच्चे	

11.) गत तीन वर्षों में संगठन की वित्तीय स्थिति का सारांश **:**
(रूपये लाखों में)

वर्ष	आय एवं व्यय लेखा	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	आधिक्य	कमी

12. गत तीन वर्षों में केंद्र सरकार/राज्य सरकारों और अन्य सरकारी एजेंसियों से प्राप्त अनुदान का ब्यौरा : (रुपये लाख में)

मंजूरी आदेश संख्या	**तारीख**	**राशि**	**योजना**	**निधियन एजेंसी का पता**

13. गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी योगदान का ब्यौरा :

देश	**संगठन**	**उद्देश्य**	**राशि**

14. संगठन के पदधारियों का ब्यौरा :

क्र. सं.	**नाम और पता**	**पुरुष / स्त्री**	**आयु**	**पद**	**योग्यता**	**पेशा**	**वार्षिक आय**	**आधार संख्या**

15. संगठन के कर्मचारियों का ब्यौरा :

क्र.सं.	**नाम और पता**	**पुरुष / स्त्री**	**आयु**	**अंशकालिक/पूर्णकालिक**	**योग्यता**	**पद**	**वार्षिक आय**	**आधार सं.**

16. संगठन की प्रबंधन समिति के सदस्यों का ब्यौरा :

क्र.सं.	**नाम और पता**	**पुरुष/महिला**	**आयु**	**योग्यता**	**पेशा**	**मासिक आय**	**आधार संख्या**

भाग-(ख)-प्रस्ताव

(i) निर्माण अनुदान के लिए

1. क्या कार्यान्वयन एजेंसी के पास स्वाधार गृह के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है। यदि हां, तो कृपया इसका ब्यौरा दें :

(क) प्लॉट संख्या/सर्वेक्षण संख्या
(ख) क्षेत्र
(ग) सड़क
(घ) स्थान
(ड़) ब्लॉक
(च) जिला राज्य पिन कोड

2. प्रस्तावित भवन की क्षमता

3. परियोजना के शुरू होने की संभावित तारीख ।

4. प्रस्तावित छात्रावास भवन का ब्यौरा, (पंजीकृत आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित आकार योजना, भवन योजना की प्रति और राज्य जन कल्याण विभाग द्वारा प्रमाणित अनुमानित संरचना की प्रति) क्षेत्रीय मानदंड योजना के पैरा एच के अनुसार होने चाहिए।

(क) कुल प्लिन्थ क्षेत्र/आवृत्त क्षेत्र
(ख) भवन की अनुमानित लागत
(ग) निर्माण का ब्यौरा

फ्लोर का ब्यौरा	आवास/कक्षों की संख्या	कक्ष का आकार	स्क्वेयर मीटर में क्षेत्र	कक्ष की क्षमता	कुल क्षमता
पहला					
दूसरा					
तीसरा					
चौथा					
सामान्य सुविधाएं	भोजन कक्ष रसोई स्टोर मुलाकात कक्ष बहुउद्देशीय कक्ष निवासी अधीक्षक कक्ष कार्यालय स्नानघर तथा अन्य सुविधाएं				

5. क्या इस परियोजना को किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी द्वारा सहायता प्राप्त होने की संभावना है? यदि हां तो उस ऐजेन्सी का नाम और प्रत्येक के द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सहायता की सीमा दर्शाएं :

6. व्यय का ब्यौरा :

(क) परियोजना पर कुल अनुमानित व्यय
(ख) अपेक्षित अनुदान की राशि
(ग) संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित राशि

(ii) निर्मित/किराए के भवन में आश्रय गृह चलाने के लिए

1. आश्रय के प्रस्तावित स्थान का पूरा पता:

जिला :
ब्लाक :
पिन कोड:
एसटीडी कोड सहित दूरभाष संख्या :

2. क्या स्थान जिला मुख्यालय है, ब्लॉक मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है या ग्राम मुख्यालय है ?

3. आश्रय के लिए उपलब्ध आवास

	कक्षों की संख्या	**कुल क्षेत्र(स्क्वेयर फीट)**
कक्ष		
रसोई		
शौचालय		
स्टोर		
बरामदा		
मनोरंजन कक्ष		
खुला स्थान		
प्रशिक्षण कक्ष		
कुल		

4. क्या यह किराया मुक्त आवास है :

5. यदि नहीं तो निवास का प्रस्तावित किराया (किराया डीड की प्रति संलग्न करें)

6. प्रस्तावित लाभार्थियों का वर्गीकरण :

समस्या का प्रकार	**महिलाओं की संख्या (प्रस्तावित लाभार्थी)**
अवैध व्यापार की गई महिलाएं/वैश्यालयों से बचाई गई या भागी हुई महिलाएं	
वे विधवाएं जिन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं है	
महिला पूर्व कैदी	
प्राकृतिक आपदाओं के कारण घरविहीन महिलाओं	
आतंकवाद हिंसा द्वारा पीड़ित महिलाएं	
परित्यक्त महिलाएं	
एचआईवी/एड्स की बीमारी से पीड़ित महिलाएं	
अन्य	
कुल	

तारीख : संगठन के संचित/अध्यक्ष के हस्ताक्षर

भाग-(ग) – पूर्व मंजूरी मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए प्रोफॉर्मा

(पूर्व मंजूरी मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा पदनामित अधिकारी द्वारा होना चाहिए)

1. निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता :
2. दौरे की तारीख और समय :
3. गैरसरकारी संगठन का नाम और पूरा डाक पता :
4. क्या गैर सरकारी संगठन द्वारा नाम पट्टिका प्रमुख रूप से दर्शायी जानी है :
5. क्या आपने गैर सरकारी संगठन के वास्तविक पंजीकरणप्रमाणपत्र का निरीक्षण किया है और क्या यह संतोषजनक है :
6. क्या प्रबंधन समिति का कोई सदस्य एक दूसरे से संबंधित है? यदि हां तो सदस्यों के नाम और उनका संबंध बताएं?
7. क्या गैर सरकारी संगठन के पदाधिकारी किसी अन्य गैर सरकारी संगठन से संबद्ध है? यदि हां तो गैर सरकारी संगठनों का नाम बताएं?
8. क्या गैर सरकारी संगठन के पास वह कर्मचारी हैं जिनका उल्लेख आवेदन फार्म में किया गया है। यदि नहीं तो कृपया इसकी कमी के कारण बताएं?
9. क्या गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई लेखा परीक्षित लेखे की प्रतियां वास्तविक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां हैं?
10. गैर सरकारी संगठन का वर्तमान बैंक बैलेंस कितना है?
11. क्या लेखा परीक्षित लेखों में वर्णित गैर सरकारी संगठन की विभिन्न आय की ऋण प्रविष्टियां पासबुक में उपलब्ध है? यदि हां तो निम्नलिखित आय के लिए पासबुक में कितनी राशि की ऋण प्रविष्टि की गई है?

		वर्ष	वर्ष	वर्ष
क	दान			
ख	सदस्यों का योगदान			
ग	वस्तुओं की बिक्री			
घ	गतिविधियों से आय			
ड़	अनुदान			
च	सदस्यों से ऋण			

12. क्या आपके पास संदेह करने का कोई कारण है कि लेखा परीक्षित लेख में की गई प्रविष्टियां वास्तविक नहीं है ? कृपया उल्लेख करें।
13. गैर सरकारी संगठन द्वारा की गई गतिविधियों का नाम जिनके लिए साक्ष्य उपलब्ध था
14. क्या गैर सरकारी संगठन की कोई चालू गतिविधि है यदि हां तो कृपया इनमें से कुछ का उल्लेख करें और कार्यनिष्पादन के बारे में भी बताएं?
15. लेखा परीक्षित लेखे और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की गई उन गतिविधियों के नाम जिनके लिए साक्ष्य उपलब्ध नहीं था?
16. तुलनपत्र में शामिल की गई उन परिसंपत्तियों का नाम बताएं जो वास्तविक जांच के लिए उपलब्ध नहीं है?
17. क्या स्थानीय लोगों को गैर सरकारी संगठन और इसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी है?
18. गैर सरकारी संगठन के बारे में स्थानीय लोगों की क्या राय है?
19. क्या आपको गैर सरकारी संगठन द्वारा निधियों के दुरुपयोग से संबंधित किसी शिकायत का पता चला है? यदि हां तो कृपया इसका ब्यौरा दें?
20. आपके विचार में, क्या गैर सरकारी संगठन आवेदन की गई परियोजना का कार्यान्वयन करने में सक्षम है?
21. आपके विचार में, क्या प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में परियोजना की वास्तव में ही आवश्यकता है? कृपया इसके कारण बताएं?

22. क्या गैर सरकारी संगठन में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित लाभार्थियों का ब्यौरा दिया है? यदि हां तो इनमें से कुछ का दौरा करें और निम्नलिखित सूचना दें :

लाभार्थी का नाम	**क्या उसे परियोजना के अंतर्गत सहायता की वास्तव में ही आवश्यकता है**

23. यदि गैर सरकारी संगठन के बारे में कोई अन्य सूचना है तो दें

मैंने पूर्व मंजूरी मूल्यांकन के दिशा-निर्देशों को पढ़ लिया है। इस रिपोर्ट में तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है।

(हस्ताक्षर)

नाम :.....

परिशिष्ट ।।

भवन के निर्माण के लिए अनुदान की मंजूरी हेतु अपनाई जानेवाली प्रक्रिया

कार्यान्वयन एजेंसियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए :

1. लोक निर्माण विभाग/किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी/अनुमोदित पंजीकृत आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित भवन के निर्माण का विस्तृत वित्तीय अनुमान और व्यय का विषयवार ब्यौरा
2. इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित स्वाधार गृह की स्थल योजना और भवन योजना की पंजीकृत आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित प्रति/स्थानीय प्राधिकरण से एक प्रमाण पत्र कि इसकी भवन योजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और निर्माण की अनुमति दे दी गई है, भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. भूमि जिस पर सार्वजनिक भूमि होने के कारण निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, का दस्तावेजी साक्ष्य। जिला कलैक्टर या सरकार के किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित टाइटल/लीड डीड के हस्तांतरण के दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाएगें।

राज्य सरकार द्वारा पालन की जाने वाली अन्य शर्तें

1. भवन का निर्माण राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार किया जाएगा। राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
2. यदि राज्य सरकार की संतुष्टि के अधीन रहते हुए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा भवन योजना में कोई परिवर्तन आवश्यक समझा जाता है तो राज्य सरकार को इसके ब्यौरे की पूरी सूचना देते हुए इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए उसे प्राधिकृत किया जा सकता है। किंतु यह संबंधित भवन उप नियमों तथा जिला प्रशासन के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही होगा। इसके अतिरिक्त कार्यान्वयन एजेंसी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि रिहायशी क्षेत्र निर्मित क्षेत्र या स्वाधार गृह की क्षमता में किसी प्राकार की कोई कमी न आए।
3. भवन योजना में कोई परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व नहीं डाला जाएगा और इस लेखे पर कोई लागत वृद्धि इस स्कीम कें अंतर्गत अतिरिक्त वित्तीय सहायता हेतु वांछनीय नहीं होगी।
4. विस्तृत ढांचागत/वित्तीय अनुमानों में अपनाई जाने वाली निर्माण की दरें संबंधित राज्य के लोक निर्माण विभाग की अनुसूची दरों से अधिक नहीं होगी और इससे संबंधित एक प्रमाण पत्र राज्य के जन कल्याण विभाग के कार्यकारी अभियंता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य जन कल्याण विभाग/केंद्रीय जन कल्याण विभाग द्वारा जांच शुल्क/सेंट्रल शुल्क समग्र सीमा के अधीन रहते हुए स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए पात्र होगा।
5. इस भवन का निर्माण यथा शीघ्र और अनुदान की पहली किश्त जारी होने की तारीख में किसी भी स्थिति में 18 माह के भीतर पूरा किया जाएगा।
6. अनुदान का व्यय न किया गया कोई भी भाग राज्य सरकार को शीघ्र ही वापस कर दिया जाएगा।
7. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सरकारी अनुदान से पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से अधिगृहित परिसंपत्तियों का रिकोर्ड रखेंगे। इन परिसंपत्तियों का निपटान, रोक या उपयोग भारत सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उन उद्देश्यों जिनके लिए अनुदान दिया गया था के सिवाय अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।

परिशिष्ट ।।।

किराए के घर में स्वाधार गृह स्थापित करने के लिए अनुदान की मंजूरी देने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

कार्यान्वयन एजेंसियां निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेंगी

I. एजेंसी/स्वैच्छिक संगठन/संस्थान का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा विवरण पत्रिका या इसके उद्देश्यों और गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण।
II. एजेंसी/संगठन/संस्थान का गठन।
III. सदस्यों के नाम और उनके पैन कार्ड का ब्यौरा/आधार नम्बर देते हुए इसके प्रबंधन बोर्ड का गठन।
IV. गत तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट
V. किराया अनुबंध की प्रति
VI. राज्य जन कल्याण विभाग/जिला कलैक्टर/निगम प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से जारी किए गए किराया मूल्यांकन प्रमाणपत्रों की प्रति।
VII. कमरों की संख्या, उनके आकार आदि के संबंध में स्वाधार गृह का ब्यौरा देते हुए स्थल योजना का ब्लू प्रिंट।
VIII. एजेंसी/संगठन/संस्थान की पूर्ण प्राप्तियों और व्यय का गत तीन वर्षों का विवरण और आवेदक की वित्तीय व्यवहार्यता तथा स्वाधार गृह प्राधिकृत लेखा परीक्षकों/चाटर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित गत तीन वर्षों के तुलनपत्र की प्रति।
IX. संबंधित निगम प्राधिकरण/पंचायती राज संस्थान आदि से स्वाधार गृह के रूप में उपयोग के लिए प्रस्तावित परिसर की उपर्युक्तता का प्रमाणपत्र।

परिशिष्ट-IV

स्वाधार गृह की प्रवेश नीति, प्रदान की जाने वाली सेवाएं तथा रिकॉर्डों के अनुरक्षण के लिए दिशा-निर्देश/निर्देश

I. जब कोई महिला स्वाधार गृह में या तो खुद आती है या किसी के द्वारा लायी जाती है तो सबसे पहला कदम उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उनके संकट का कारण तथा समायोजन की समस्या के बारे में जानकारी लेना होगा। पीड़िता की शुरुआती पीड़ा को दूर करने और पीड़िता की आवश्यकता के अनुसार स्वाधार गृह में उपलब्ध सेवाओं की उपर्युक्तता को चिन्हित करने में सहायता प्रदान करने के लिए परामर्शक द्वारा उसका एक विशेष साक्षात्कार लिया जाएगा (जब तक कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक मानक शिष्टाचार विकसित न कर दिया जाए और परिचालित न कर दियाजाए) तथा इससे संबंधित एक केस फाइल बनाई जाएगी।

II. परामर्शक/अधीक्षक द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार का पहला क्रम तथा समस्या का पता लगाने का पहला चरण महिलाओं के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों का निर्णय करने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि समस्या का पता लगाए जाने के दौरान यह पाया जाता है कि स्वाधार गृह में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं पीड़िता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपर्युक्त है तो आवेदक को स्वाधार गृह में दाखिल किया जा सकता है और पुनर्वास के लिए सेवाएं प्रदान की जा सकती है। यदि यह पाया जाता है कि स्वाधार गृह में प्रदान की जाने वाली सेवाएं आवेदक की समस्या को दूर नहीं करेगी तो उसे समुदाय के अन्य अपर्युक्त संस्थानों में भेज दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए तस्करी की गई महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभ उठाना चाहिए।

III. दाखिले के बाद, उसे उसके ब्यौरे जैसे कि नाम, पता, आयु, बच्चों का विवरण (यदि कोई है), समस्या का विवरण तथा संदर्भ का स्रोत के साथ प्रवेश रजिस्टर में पंजीकृत कर दिया जाना चाहिए।

IV. प्रत्येक मामले की एक अलग फाइल होनी चाहिए जिसमें पूरा केस रिकॉर्ड, रिश्तेदारों के पते, प्रेषित पत्र, तथा कोर्ट के मामले, पुलिस आदि से संबंधित अन्य पत्र/रिकॉर्ड आदि दिया हुआ हो। प्रदान की गई सहायता जैसे कि मामले के संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों के साथ आयोजित की जाने वाली बैठकें, चिकित्सा जांच आदि का रिकॉर्ड भी रखा जाना चाहिए। इन फाइलों को अद्यतन बनाया जाना चाहिए और ये फाइलें सरकार के किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुली होनी चाहिए।

V. केस फाइल में प्रत्येक निवासी तथा उसके बच्चों (यदि वे भी उसके साथ आए हैं) के पुनर्वास तथा उनके पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों की कार्य योजना भी शामिल होनी चाहिए।

VI. स्वाधार गृह में दाखिल की गई प्रत्येक पीड़िता की सूचना 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस थाने को दी जानी चाहिए और एफआईआर की रसीद/प्रति रिकॉर्ड में रखी जानी चाहिए। इसी प्रकार किसी निवासी को छुट्टी देने से संबंधित सूचना भी इस प्रकार छुट्टी दिए जाने से कम से कम 24 घंटे पहले उसी पुलिस थाने में दी जानी चाहिए।

VII. लाभार्थियों के बच्चों के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें गतिविधियों पर वहन किए जाने वाले व्यय सहित उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं का भी उल्लेख किया जाएगा।

VIII. यदि कोई महिला अपने साथ कोई कीमती वस्तु (सोना, चांदी, गहने आदि) लाती है तो इसका ब्यौरा इस उद्देश्य के लिए रखे गए रजिस्टर में रखा जाना चाहिए और इस पर निवासी अधीक्षक तथा निवासी दोनों को हस्ताक्षर करने चाहिए। ये कीमती वस्तुएं संरक्षित अभिरक्षा में रखी जानी चाहिए और संस्थान को छोड़ते समय उसे वापस लौटा दी जानी चाहिए।

IX. प्रत्येक महिला जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उसे फोटो आईडी कार्ड दिया जाएगा और आधार कार्ड लेने के लिए कार्रवाई शीघ्र ही की जानी चाहिए।

X. किसी भी महिला की चिकित्सकीय जांच उसके दाखिल होने के तीन दिन के भीतर की जाएगी। संगठन द्वारा इस चिकित्सा जांच की व्यवस्था निकटतम सरकारी अस्पताल/औषधालय में की जानी चाहिए। आपातकाल वाले मामलों को शीघ्र अति शीघ्र निकटतम सरकारी अस्पतालों में भेज दिया जाना चाहिए।

XI. यदि किसी निवासी को एचआईवी/एडस या एचआईवी+हो गया हो तो उसे परामर्श और सलाह के लिए निकटतम सरकारी हस्पताल के वीसीटीसी केंद्र में भेज दिया जाना चाहिए ।

XII. प्रत्येक स्वाधार गृह में चिकित्सा किट सहित पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं रखी जानी चाहिए। इस चिकित्सा किट में ओटीसी दवाएं, जले पर लगाने वाली क्रीम, टेप, बेंडेज, चोट को ढकने और ठीक करने वाली पट्टी, कैंची आदि जैसी मूल चीजे शामिल होनी चाहिए।

XIII. मनोरंजन और सामूहिक गतिविधियों के लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए। भीतरी और बाहरी खेलों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। उन्हें एक महीने में कम से कम एक बार सांस्कृतिक नाटकों, सैर-सपाटे, पिक्चर, पिकनिक मनाने तथा प्रदर्शनी आदि दिखाने के लिए बाहर ले जाया जाना चाहिए। स्वाधार गृह के निवासियों की सक्रिय भागीदारी के साथ विभिन्न धार्मिक मेलों, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा बच्चों के जन्मदिन भी मनाने चाहिए। प्रत्येक स्वाधार गृह में निवासियों के लिए टेलिविज़न का प्रावधान भी होना चाहिए ।

XIV. कार्यान्वयन ऐजेन्सी दक्षता विकास पहल (एसडीआई), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की स्कीम या कौशल विकास मंत्रालय की स्कीम के माध्यम से निवासियों के रोजगार प्रशिक्षण के प्रावधान के लिए भी उत्तरदायी होगी। प्रशिक्षण पाठयक्रम में वहन किए गए वास्तविक व्यय के अनुसार शुल्क की राशि स्कीम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति योग्य है ।

परिशिष्ट-V

स्वाधार गृह योजना के अंतर्गत किराया अनुमोदित करने के उद्देश्य के लिए शहरों/नगरों का वर्गीकरण

क्र.सं.	राज्य	''क'' के रूप में वर्गीकृत शहर	''ख'' के रूप में वर्गीकृत शहर
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद (यूए)	विजयावडा (यूए) विशाखापटना (यूए) (गुंटूर)
2.	असम		गुवाहाटी(यूए)
3.	बिहार		पटना (यूए)
4.	चंडीगढ़		चंडीगढ़
5.	छत्तीसगढ़		दुर्ग-भिलाई नगर (यूए), रायपूर (यूए)
6.	दिल्ली	दिल्ली (यूए)	
7.	गुजरात		अहमदाबाद(यूए), राजकोट(यूए) जामनगर(यूए), भावनगर(यूए), वडोदरा(यूए), सूरत(यूए)
8.	हरियाणा		फरीदाबाद
9.	जम्मू व कश्मीर		श्रीनगर(यूए), जम्मू(यूए)
10.	झारखंड		जमशेदपुर(यूए), धनबाद(यूए), राची(यूए)
11.	कर्नाटक	बैंगलौर (यूए)	बेलगाम(यूए), हुबली-धारवाड़, मंगलौर(यूए), मैसूर(यूए)
12.	केरल		कोझिकोड(यूए), कोची(यूए), तिरूवनाथपुरम(यूए)
13.	मध्य प्रदेश		ग्वालियर(यूए), इंदौर(यूए), भोपाल(यूए), जबलपुर(यूए)
14.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई (यूए)	अमरावती, नागपुर(यूए), औरंगाबाद(यूए), नासिक(यूए), भिवंडी(यूए), पुणे(यूए) सोलापुर, कोल्हापुर(यूए)
15.	उडीसा		कटक(यूए), भुवनेश्वर(यूए)
16.	पंजाब		अमृतसर (यूए), जलंधर(यूए), लुधियाना
17.	पुद्दुचेरी		पांडिचेरी(यूए)
18.	राजस्थान		बीकानेर, जयपुर, जोधपुर(यूए), कोटा(यूए)
19.	तमिलनाडु	चेन्नई(यूए)	सेलम,(यूए) तिरुपुर(यूए), कोयम्बतूर(यूए), तिरूचिरापल्ली(यूए), मदुरई(यूए)
20.	उत्तराखंड		देहरादून(यूए)
21.	उत्तर प्रदेश		मुरादाबाद, मेरठ(यूए) , ग़ाज़ियाबाद, अलीगढ़, आगरा(यूए), बरेली(यूए), लखनऊ(यूए), कानपुर(यूए), इलाहाबाद(यूए), गोरखपुर, वारणसी(यूए)
22.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता(यूए)	आसनसोल(यूए)

नोट : विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आने वाले शेष शहरों/नगरों/स्थानों, जिन्हें ''क'' या ''ख'' के वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया है, को इस उद्देश्य के लिए ''ग'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

परिशिष्ट-VI

स्वाधार गृह के निगरानी सूचक

मानव संसाधन

क्र.सं.	नाम	पदनाम	योग्यता	अंशकालिक /पूर्णकालिक	इस परियोजना में कब से कार्यरत हैं।
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

अवसंरचना

स्थान

क्र.सं.	सूचक	टिप्पणियां
1.	क्या स्वाधार गृह के नाम का बोर्ड परिसर में प्रमुख रूप से दर्शाया गया है।	
2.	क्या सडक से आश्रय गृह तक आसानी से पहुंचा जा सकता है ?	
3.	जिला मुख्यालय से दूरी कितनी है?	
4.	हस्पताल से दूरी कितनी है ?	
5.	प्राथमिक विद्यालयी से कितनी दूरी है?	
6.	सेकंडरी या हाई स्कूल से कितनी दूरी है?	
7.	पुलिस थाने से कितनी दूरी पर है ?	
8.	न्यायालय से कितनी दूरी पर है ?	

स्थान

क्र.सं.	संकेतक	टिप्पणियां
1.	कमरों की कुल संख्या और उनकी स्वच्छता	
2.	कार्यालयी प्रशासनिक कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले कमरों की संख्या	
3.	परामर्श के लिए पृथक कक्ष की उपलब्धता	हां/नहीं

4.	शौचालयों की संख्या और उनकी स्वच्छता	
5.	स्नानघरों की संख्या और उनकी स्वच्छता	
6.	रसोई कक्ष और उसकी स्वच्छता	
7.	मनोरंजन गतिविधियों/सभा के लिए पृथक स्थान की उपलब्धता	हां/नहीं
8.	रोजगार प्रशिक्षण/शिक्षा आदि के लिए पृथक स्थान की उपलब्धता	हां/नहीं
9.	क्या परिसर लाभार्थियों के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित है ?	हां/नहीं, यदि नहीं तो कृपया स्पष्टीकरण दें ।
10.	क्या परिसर में आगंतुकों के लिए अलग से कोई कमरा है ?	हां/नहीं
11.	परिसर का अनुमानित क्षेत्र	.....स्क्वेयर फीट

परिसंपतियां

क्र.सं.	**सूचक**	**टिप्पणियां**
1.	पलंगों की संख्या और उनकी स्थिति	
2.	गद्दों की संख्या और उनकी स्थिति	
3.	क्या संगठन के पास परिसंपत्ति रजिस्टर है ?	हां/नहीं
4.	क्या खरीदी गई परिसंपत्तियों को परिसंपत्ति रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लिया गया है ?	हां/नहीं
5.	क्या संगठन में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए रजिस्टर रखा गया है?	हां/नहीं

निरीक्षण के समय गृह में उपस्थित लाभार्थियों की संख्या ।

मूल भूत सुविधाएं

क्र.सं.	**संकेतक**	**टिप्पणियां**
भोजन		
1.	क्या लाभार्थियों के भोजन के लिए विशेष भोजन सूची बनाई गई है ?	
2.	यदि हां तो क्या इस भोजन सूची का पालन किया जा रहा है ?	
3.	इस भोजन सूची को कौन तैयार करता है ?	
4.	इस भोजन सूची में होने वाले परिवर्तन का अनुपात (एक सप्ताह/एक पखवाडा/एक माह/तीन माह या इससे अधिक)	
कपड़ा, और स्वच्छता		
1.	क्या लाभार्थियों को कपडा और शौचालय की सुविधा प्रदान की गई थी ?	

मामला प्रबंधन

क्र.सं.	**संकेतक**	**टिप्पणियां**
1.	क्या संगठन के पास लाभार्थियों का प्रवेश रजिस्टर है ?	
2.	क्या संगठन के पास लाभार्थियों का उपस्थिति रजिस्टर है ?	
3.	क्या संगठन में लाभार्थियों की अलग से केस फाइलें बनाई गई है ?	
4.	क्या व्यक्तिगत फाइलों में लाभार्थियों का विस्तृत केस इतिहास है ?	
5.	क्या केस फाइलों को समय समय पर अद्यतित किया जाता है ?	
6.	कृपया उन फाइलों के नंबर तथा लाभार्थियों के नाम बताएं जिनकी फाइलों की जांच आपने की है ?	

<u>रोजगार प्रशिक्षण एवं आईजीए</u>

क्र.सं.	केस फाइल नंबर	लाभार्थी का नाम	रोजगार प्रशिक्षण				आय उत्पादन गतिविधियां	
			प्रशिक्षण प्रदाता	व्यवसाय	प्रारंभ की तारीख	पूरा किए जाने की तारीख	व्यवसाय	सहायकता राशि, यदि कोई हो
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10								

गत 6 माह के दौरान गृह छोड़ने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या

अन्य गृहों को स्थानांतरित	
परिवार के साथ दोबारा मिल जाने वाले	
गृह राज्य को स्थानांतरित होने वाले	
स्व रोजगार वाले/जिन्हें नौकरी दी गई है।	
भागे हुए/लापता	
मृत्यु	
अन्य (कृपया उल्लेख करें)	
योग	

निरीक्षण अधिकारी द्वारा गृह का समग्र मूल्यांकन

आश्रय गृह के कर्मचारियों की गुणवत्ता और लाभार्थियों के प्रति उनका व्यवहार

संस्थान द्वारा लाभार्थियों को प्रदान की गई सुविधा (अवसंरचना, स्थान) की गुणवत्ता

लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं (भोजन/कपडा/चिकित्सा/परामर्श आदि) की गुणवत्ता

ध्यान में आने वाली कमियां